संख्याः शिक्षा–एचई (13) –1/2012 (पेंशन हिदायत)
शिक्षा निदेशलय हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला–171001 अक्तूबर, 2015

निदेशालय उच्चतर शिक्षा 19 OCT 2015 शिमला - 1

सेवामें

समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः– पेंशन मामलों को निपटाने में विलम्ब।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.07.2015 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षकों को अगले 24 से 30 महीने के दौरान सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूचियॉ महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं अगले 24 से 30 महीने के दौरान सेवा निवृत होने वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों की सूचियॉ महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित करें, तथा सभी सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन मामले उनकी सेवा निवृत के 6 महीने पहले महालेखाकार हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित किये जायें ताकि सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों के पेंशन मामलों को उनकी सेवानिवृति से पहले निपटा कर समय पर पेंशन लाभ दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालायों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि यह सेवा निवृत अधिकारियों /कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐमिप्ड कांड, फार्म –3 में पारिवारिक पंशन के लिए जन्म तिथि और सेवा निवृति की सही तिथियॉ तथा मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत कर्मचारियों की जन्म तिथि भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें।

शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन सम संख्याः शिक्षा–एचई (13) –1/2012 (पेंशन हिदायत) शिमला–1 दिनांक अक्तूबर, 2015
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव(वित्त)हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्याःशिक्षा फिन (पेंन) बी(10)–3/2006–खण्ड–1 दिनांक 19.09.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–2 को उनके पत्र संख्याःशिक्षा ईडभ्एन–ए–ख (15)–9/2015 दिनांक 01.10.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. समूह समादेशक, एन0सी0सी0 समूह मुख्यालय, शिमला –4
4. शाखा अधिकारी (कॉलेज शाखा/10+2शाखा/स्थापना शाखा–1/शारीरिक शिक्षा/योजना शाखा एवं छात्रवृति शाखा) शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय/ संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, शिक्षक महाविद्यालय, धर्मशाला/एस0सी0ई0आर0टी0 सोलन हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त अधीक्षक, (कॉलेज शाखा/10+2शाखा/स्थापना शाखा–1/शारीरिक शिक्षा /योजना शाखा एवं छात्रवृति शाखा) शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश।

8. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर) को आदेश दिये जाते है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देश दिये जायें कि पेंशन मामले उनकी सेवानिवृति के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 के कार्यालय को सरकार से प्राप्त पत्र के निर्देशानुसार ही प्रेषित किये जायें ।

9. समस्त जिला पुस्तकालय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

10. आहरण एवं वितरण अधिकारी, शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश।

11. ईन्चार्ज कमप्यूटर शाखा शिक्षा निदेशालय को प्रलिलिपि इस आश्य के साथ प्रेषित है कि इन आदेशों को बैबसाईट पर अपलोड किये जायें।

13. कार्यालय नस्ति / रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश

91-